



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 331977

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम राजेंद्र प्रसाद एवं अशोक कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट, न्यू शिवपुरी कॉलोनी, आज़ाद नगर पूर्वी, रुस्तमपुर, तारामंडल, गोरखपुर-273016 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

- 1) यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आरपी विद्यापीठ फार्मसी कॉलेज, काली जगदीशपुर, नाथनगर, संतकबीर नगर - 272176 नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- 2) यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम आरपी विद्यापीठ फार्मसी कॉलेज पता जहां पर भूमि स्थित है काली जगदीशपुर, नाथनगर, संतकबीर नगर - 272176 में गाटा संख्या 453, 462 एवं 487, 453ख, 452क, 462/1687, 454, 455, 460, 461, 490अ, ग, घ, 480, 485, 457 रकबा क्रमशः 0.0274, 0.026 एवं 0.081, 0.092, 0.025, 0.141, 0.025, 0.041, 0.013, 0.105, 0.116, 0.098, 0.072, 0.041 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.9034 हेक्टेयर) भूमि है।
- 3) यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 453, 462 एवं 487, 453ख, 452क, 462/1687, 454, 455, 460, 461, 490अ, ग, घ, 480, 485, 457 रकबा क्रमशः



1001 11/11/2023 को. म.प्र. विद्यापीठ म.प्र.  
आचार्य-म.प्र. विद्यापीठ म.प्र.

क. म.प्र. विद्यापीठ

म.प्र. विद्यापीठ  
म.प्र. विद्यापीठ  
म.प्र. विद्यापीठ


3/18/23  
Rajendra Prasad Ashok Kumar  
Secretary  
Bharatiya Mahila Samithi  
Tort to Mahila  
Kushin  
Rajendra Prasad Ashok Kumar  
17/11/23  
3/18/23

म.प्र. विद्यापीठ  
म.प्र. विद्यापीठ



0.0274, 0.026 एवं 0.081, 0.092, 0.025, 0.141, 0.025, 0.041, 0.013, 0.105, 0.116, 0.098, 0.072, 0.041 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.9034 हेक्टेयर) भूमि है पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13/03/2019 द्वारा पारित किया गया है।

- 5) यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- 6) यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7) यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायंगा।
- 8) यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 9) यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
- 10) यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
- 11) यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
- 12) यह कि, शासन परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 13) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

  
ह० सचिव



  
ह० अध्यक्ष